



कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छत्तीसगढ़)

E-Mail - cmhomcb@gmail.com & dpmmcb@gmail.com



मनेन्द्रगढ़, दिनांक 01/09/2023

आदेश

क्रमांक/एस्मा/.....1296..2023/छ0ग0 सिविल सेवा (आचरण) नियम-1965 के तहत स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों के संबंध में अनाधिकृत रूप से निरंतर दिनांक 21.08.2023 से हड़ताल में है एवं इस कारण से लोक हित/नागरिक सेवायें तथा शासकीय कार्य प्रभावित हो रहे हैं और लोगों को असुविधा हो रही है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग रायपुर का पत्र क्रं/5303/4211/सा/2023/सत्रह/एक नवा, रायपुर, अटल नगर दिनांक 22/08/2023, के अनुसार वर्तमान में राज्य में एस्मा एक्ट प्रभावशील होने के कारण कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, छत्तीसगढ़, का पत्र क्रमांक/स्वास्थ्य/2023/1238 मनेन्द्रगढ़, दिनांक 24/08/2023, व कार्यालय कलेक्टर जिला एमसीबी छ0ग0 का पत्र क्रमांक/स्वास्थ्य/2023/3992 मनेन्द्रगढ़, दिनांक 29/08/2023 के माध्यम से नोटिस जारी कर कार्य पर उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके उपरांत भी कर्मचारी कार्य पर उपस्थित नहीं हुये हैं, एवं संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें सरगुजा संभाग का पत्र क्रमांक/580/स्थापना/2023 अम्बिकापुर, दिनांक 01.09.2023 को उपरोक्त कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।

जिन सेवाओं के विषय में एस्मा छ0ग0 अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम-1979 की धारा 4 की उप धारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये एवं सूचना उपरांत भी कर्मचारियों द्वारा उपस्थित नहीं होने पर एस्मा अंतर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु कार्यालयीन प्रथम सूचना पत्र दिनांक 24.08.2023 एवं अंतिम सूचना पत्र दिनांक 29.08.2023 के माध्यम से सूचित किया गया है।

जिसके उपरांत भी अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा कार्य पर उपस्थित नहीं होने के कारण छ0ग0 सिविल सेवा (आचरण) नियम-1965 के नियम-6 एवं नियम-7 एवं छ0ग0 अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम-1979 की धारा 4 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये निम्नलिखित ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक (महिला/पुरुष) को सेवा से निलंबित किया जाता है।

| क्रं | कर्मचारी का नाम | पदस्थापना स्थल | रिमाक |
|------|---------------------------|------------------------|-------|
| 1 | श्री गौरभ कुमार त्रिपाठी | एस.एच.सी. मलकडोल | |
| 2 | श्री द्वारिका प्रसाद सिंह | एस.एच.सी. मैनपुर | |
| 3 | श्री जितेन्द्र पाण्डेय | एस.एच.सी. चांटी | |
| 4 | श्री मनीष पाण्डेय | एस.एच.सी. मेरो | |
| 5 | श्री दीपक कुमार पटेल | एस.एच.सी.वेस्ट चिरमिरी | |
| 6 | वर्षा पटेल | एस.एच.सी. कुरसिया | |
| 7 | पुनीता कुजूर | एच.डब्लू.सी. जिल्दा | |
| 8 | रिकी गुप्ता | एस.एच.सी. कोरिया | |
| 9 | कमला ओझा | एस.एच.सी. हल्दीबाड़ी | |
| 10 | चन्द्राकला साहु | एच.डबल्यू.सी. कटकोना | |

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा।

कलेक्टर महोदय जिला-एमसीबी द्वारा अनुमोदित।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ0ग0)



कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छत्तीसगढ़)




E-Mail - cmhomcb@gmail.com & dpmmcb@gmail.com

पृ.क्रमांक/एस्मा/2023/1297

मनेन्द्रगढ़ दिनांक 01/09/2023

प्रतिलिपि:-

01. अपर मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, नवा रायपुर छ0ग0 की ओर सूचनार्थ।
02. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ ।
03. संचालक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग नवा रायपुर (छ.ग.)की ओर सूचनार्थ।
04. संभागीय आयुक्त, संभाग - अम्बिकापुर, सरगुजा छ0ग0 की ओर सूचनार्थ ।
05. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ ।
06. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ.ग.)की ओर सूचनार्थ।
07. समस्त खण्ड चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला-एमसीबी, छ0ग0 ओर सूचनार्थ।
08. सर्व संबंधित को पालनार्थ।


मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ0ग0)